

212


332  
उपनर

S.O. R.  
28 AUG 2012

2030  
द्वारा प्रस्तुत  
सागर (27 ए)

2541

3-9-12



न्यायालय सम्मानीय राजस्व मंडल केम्प सागर म०प्र०

R-2932-JIN

- (1) पद्मचंद्र बल्लव दीपचंद्र जैन  
निवासी- दुर्गेश बिहार जे०के० रोड मोपाल  
तहसील व जिला मोपाल
- (2) सुमतरानी पत्नि श्री दीपचंद्र जैन  
निवासी- प्रियदर्शिनी नगर रायपुर  
तहसील जिला रायपुर

द्वारा कांदा :- गण जैन बल्लव पद्म चंद्र जैन  
निवासी- दुर्गेश बिहार जे०के० रोड मोपाल  
तहसील व जिला मोपाल म०प्र०

-- पुनरीक्षण कर्ता

॥ काम ॥

श्रीमति अर्चना मिश्रा पत्नि यशदत्त मिश्रा  
निवास- अंजुर कालोनी जैन मंदिर के पास रजाखेड़ी  
तहसील जिला सागर

-- रेस्पाडेन्ट

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म०प्र० मू० राजस्व संहिता

पुनरीक्षण कर्ता गण पुनरीक्षण प्रस्तुत कर प्रार्थना करते हैं :-

पुनरीक्षण कर्ता यह पुनरीक्षण न्यायालय श्रीमान तहसीलदार सागर के प्रकरण नं० 27-अ।12।011-012 पदाकार अर्चना पत्नि यशदत्त मिश्रा ने पारित आवेश दिनांक 14-05-2012 से परिवेदित होकर सम्मानीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे

Rajan

है ।

-2-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-2932-दो/2012

जिला-सागर

पदमचंद व अन्य विरुद्ध श्रीमती अर्चना मिश्रा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अनुविभागीय अधिकारियों के हस्ताक्षर
07-03-2019	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</li><li>2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।</li><li>3. यह निगरानी तहसीलदार सागर, जिला- सागर के प्रकरण क्रमांक 27/अ-12/2011-12 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 14-05-2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।</li><li>4. म.प्र. मू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।</li><li>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 06-05-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।</li></ol>	<p style="text-align: right;">(आर.के. मून) सदस्य 07/3/19</p>